प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश
विकास नगर, कानपुर–208002

Visit us: http:// upted.gov.in/directorate

Phone No.: 0512-2582084
Fax No. 0512-2580965
E-mail: dirtechedu@gmail.com
dteupestablishment@gmail.com

प्रेषक,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश कानपुर।

सेवा में,

श्री सोनू कुमार
पुत्र श्री फेंकू लाल,
प्लाट नं0–50, गुलाब नगर, नियर बाईपास रोड,
कैम्पस यमुना नगर, हरियाणा–135001

पत्रांक: 662 /ई–स्था0–नियु0कर्म0अनु0(लौहकला)–2016, कानपुर : दिनांक– 11/04/2023

विषयः **उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा प्राप्त संस्तुति के आधार पर प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर), उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन समूह "ग" के रिक्त कर्मशाला अनुदेशक लौहकला के पद पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण कराये जाने विषयक।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के पत्र सं0–809/गोपन/2/4/2022/2023 दिनांक–04.03.2023 के द्वारा प्राप्त संस्तुति के आधार पर आपको प्राविधिक शिक्षा विभाग(डिप्लोमा सेक्टर) के नियंत्रणाधीन राजकीय पालीटेक्निक संस्थान में रिक्त कर्मशाला अनुदेशक लौहकला के पद पर तैनाती प्रदान की जानी है।

उक्त के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया में पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के क्रम में शासनादेश सं0–04/2021/1/4/2011–का–4–2021 दिनांक–29.04.2021 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अभ्यर्थी से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा पत्र प्राप्त कर औपबन्धिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए तथा अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति के क्रम में आपको उपरोक्त शासनादेश की प्रति के साथ निर्धारित प्रारूप संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि उसमें वांछित विवरण तथा स्वःघोषणा पत्र को भरे जाने के पश्चात् यथाशीघ्र इस कार्यालय को मूल रूप में उपलब्ध करा दें। उक्त के अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों से विभिन्न राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों में रिक्त कर्मशाला अनुदेशक वेल्डिंग के पद पर प्रथम नियुक्ति/तैनाती हेतु जनपद का विकल्प यूराइज पोर्टल (http://urise.up.gov.in) के माध्यम से भी प्राप्त किया जाना है।

अतएव प्रदेश में संचालित राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में उपलब्ध कर्मशाला अनुदेशक लौहकला के रिक्तियों के अनुसार अपनी प्रथम तैनाती/नियुक्ति के संबंध में दिनांक–20.04.2023 की सायं 06:00 बजे तक यूराइज पोर्टल (http://urise.up.gov.in) पर उपलब्ध विकल्पों में से किन्हीं 05 जनपदों का विकल्प का चयन करते हुए अपनी ई–मेल आई0डी0 एवं दूरभाष नं0 भी तत्काल पोर्टल पर ही उपलब्ध करा दें, जिस पर विभाग द्वारा यथासम्भव विचार किया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि में विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि आप विकल्प देने के इच्छुक नहीं हैं, उक्त स्थिति में नियमानुसार तैनाती/नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि यूराइज पोर्टल के आधार पर प्रथम तैनाती/नियुक्ति दिये जाने की यह सुविधा मात्र वैकल्पिक होगी, अनिवार्य नहीं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,
R.K. S.

(आर0के0 श्रीवास्तव)
उप निदेशक,
कृते निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0।

niyukti\trilok

संख्या/04/2021/ 1/4/2011-का-4-2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक (अभिसूचना), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 29 अप्रैल 2021

विषय: विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित्र का उनकी प्रथम नियुक्ति के पहले सत्यापन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न परीक्षाओं/ चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन कराये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-4694/II-बी-321-1947 दिनांक 28/04/1958, संख्या- 8/22-1975-कार्मिक-2 दिनांक 20/05/1978, संख्या- 5/9/1982-का-2 दिनांक 25/05/1985 एवं संख्या- 1/4/2011-का-4-2013 दिनांक 21/10/2013 में निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासन के संज्ञान में लाया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया में पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के कारण प्रायः दो से छः मास का समय लगता है । परिणाम स्वरूप पद को भरने के लिये एवं नियुक्ति आदेशों के निर्गमन में आवंछित विलंब होता है। अतएव उक्त शासनादेशों के अनुक्रम में निम्नवत व्यवस्था भी की जाती है:-

(1) राज्य सरकार की किसी भी सेवा के लिये चयिनत अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन पूर्ववत ही किया जायेगा, किन्तु नियुक्ति पत्र निर्गमन के प्रकरण को इस प्रकार के सत्यापन के लिए लंबित रखने की आवश्यकता नहीं है। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा पत्र प्राप्त कर औपबन्धिक नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं । तदानुसार सत्यापन एवं स्वःघोषणा पत्र संबंधी प्रपत्र अनुलग्नक के रूप में संलग्न है ।

(2) औपबंधिक नियुक्ति पत्र में, यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जायेगा कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्व:सत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(3) चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही छह मास की समयावधि में की जानी चाहिए । एक बार सत्यापन की सूचना प्राप्त होने और अभ्यर्थी द्वारा दिये गये तथ्यों पर कोई आपत्ति नही होने पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र की पुष्टि कर दी जायेगी ।

(4) यदि छ: मास के भीतर सत्यापन की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:

(एक) वह पुलिस महानिदेशक को प्रकरण संदर्भित करते हुये तीन मास में सत्यापन रिपोर्ट प्रदान करने के लिये कहेगा ।

(दो) यदि इसके पश्चात भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तब गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन के संबंधित प्राधिकारियों से सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति के लिये वह अनुरोध करेगा, जिससे औपबंधिक नियुक्ति पत्र पर पुष्टि का निर्णय लिया जा सके ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी/चयनित को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करेंगे । सुनवाई करने के उपरांत यदि तथ्य सही नहीं पाये जाते हैं, तब तत्काल नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा । अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय सेवा के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा और नियुक्ति प्राधिकारी यथानुसार भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरंभ करेंगे ।

(6) किसी प्रकरण में, जहां नियुक्ति प्राधिकारी का विचार हो की अभ्यर्थी की नियुक्ति संवेदनशील पद पर होगी या सुरक्षा के दृष्टिगत जिसमें विस्तृत पूर्व सत्यापन विशेष रूप से आवश्यक है, वहां नियुक्ति केवल इस प्रकार के सत्यापन के पश्चात ही की जायेगी, तथापि ऐसे प्रकरणों में प्रशासकीय विभाग पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुये कार्मिक विभाग से विमुक्ति/छूट के लिये अनुरोध करते हुये प्रस्ताव प्रेषित करेंगे, कार्मिक विभाग के स्तर से प्रस्ताव के सभी कारणों को परीक्षण कर माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन छूट देने की कार्यवाही संपादित की जायेगी।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का समस्त स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

<u>संलग्नक अनुलग्नक-1 व 2</u>

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-04/2021/1/4/2011(1)-का-4-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
4. सचिव-अन्य भर्ती बोर्ड/ आयोग उत्तर प्रदेश ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
6. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव

MEDICAL OFFICER
Urban Health Centre-I
Sreenivasapuram, Tadipatri
Anantapur Dist

सत्यापन प्रपत्र (अनुलग्नक-1)

1.	पासपोर्ट आकार का नवीनतम हस्ताक्षरित चित्र चिपकायें (5 सेमी गुणा 7 सेमी)
2.	"चेतावनी" सत्यापन प्रपत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत करना या किसी भी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता होगी और सरकार के अधीन नियोजन के लिए अभ्यर्थी अपात्र हो जायेगा। इस प्रपत्र को पूर्ण करने एवं जमा करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी नजरबंद, गिरफ्तार, अभियोजित, तड़ीपार कृत अर्थदण्ड से दण्डित दोषकृत, विवर्जित या अपराध मुक्त आदि किया जाता है तो उन विवरणों को तत्काल उन प्राधिकारियों के पास तत्काल भेजा जाना चाहिए जिनके पास पूर्व में सत्यापन प्रपत्र भेजा गया था, इसमें विफल होने पर तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना माना जायेगा ।
3.	यदि, किसी व्यक्ति की सेवा अवधि के मध्य किसी समय सत्यापन प्रपत्र में किसी तथ्यात्मक जानकारी का छिपाया जाना या त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है तो उसकी सेवायें समाप्त किये जाने योग्य होंगी ।

1. पूर्ण नाम (बड़े अक्षरों)	उपनाम	नाम
SONU KUMAR	KUMAR	SONU
2. (क) पूर्ण वर्तमान पता (उदाहरण- ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, वीथी/ गली/ सड़क एवं कस्बा) :	PLOT No-50, GULAB NAGAR, NEAR BY PASS ROAD, CAMP, YAMUNA NAGAR-135001 HARYANA	

3. (क) घर का पूर्ण पता (उदाहरणार्थ गांव, थाना एवं जनपद, या मकान संख्या, वीथी/ गली / सड़क एवं कस्बे तथा जनपद मुख्यालय का नाम: (ख) यदि मूल रूप से पाकिस्तान / बांग्लादेश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश में पता और भारतीय संघ में प्रवास की तिथि :	Village - MAHUI (HOUSE NO - 251) TEHSIL - HATA (THANA - HATA) DIST. KUSHINAGAR - 274203 (U.P)

4. विगत पांच वर्षों की अवधि में उन स्थानों का विवरण दिया जाय (जहां आप) एक वर्ष से अधिक से अवधि तक रहे हों (निवास की अवधि के साथ) विदेश निवास (पाकिस्तान सहित) की स्थिति में उन समस्त स्थानों का विवरण, जहां आप 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों ।

दिनांक	निवास का पता (उदाहरणार्थ मकान संख्या, गली/ वीथी/ सड़क ग्राम थाना नगर जनपद)	जनपद मुख्यालय का नाम या पूर्ववर्ती स्तम्भ में वर्णित स्थान का वर्णन
30/8/2022 To Till date	DOOR No - 1H, Teachers Colony, Street No-1, NEAR BSNL Office, Teachers Colony	

5.	नाम (पूर्ण रूप में एवं उपनाम यदि कोई हो)	राष्ट्रीयता (जन्म से अधिवास से)	जन्म स्थान	व्यवसाय, यदि नियोजित है तो पदनाम एवं कार्यालय का पता	वर्तमान डाक का पता (यदि मृत हो तो अन्तिम पता	घर का स्थायी पता Todipatri Dist - Anantpur (AP)
क) पिता	FENKULAL	(INDIAN	UP	N/A	Plot No - 50 Gulab Nagar NEAR By PASS ROAD Camp YAMUNA-NAGAR - 135001 (HARYANA)	Vill - Mahui, TEHSIL - HATA, THANA - HATA DIST - KUSHINAGAR - 274203 (U.P)
ख) माता	GAYTRI DEVI	(INDIAN)	UP	N/A		
ग) पत्नी/पति	SEEMA	(INDIAN)	UP	N/A		
घ) भ्रातागण/						
ड) भगिनी/						

भगिनीगण						

5. (क)	पुत्र एवं/या पुत्री के संबंध में सूचना दी जाये यदि वे किसी विदेशी राष्ट्र में निवास या अध्ययन कर रहे हों

नाम	जन्म से या अधिवास से राष्ट्रीयता	जन्मस्थल देश	जिसमें निवास/अध्ययन कर रहे हैं का नाम, पूर्ण पता सहित	दिनांक, जिससे पूर्ववर्ती स्तम्भ में वर्णित देश में निवास/अध्ययन कर रहे हैं
	N/A	N/A	N/A	N/A

6.		राष्ट्रीयता : INDIAN
7.	(क)	जन्म तिथि – 04.02.1985
	(ख)	वर्तमान आयु: – 38 YEARS
	(ग)	10वीं कक्षा में आयु क्या थी: – 16 YEARS
8.	(क)	जन्म स्थान, जनपद एवं राज्य जहां वह अवस्थित है : KUSHINGAR (U.P)
	(ख)	जनपद एवं राज्य जिससे आप संबंधित हैं : – KUSHINAGAR (UP)
	(ग)	जनपद एवं राज्य जिससे आपके पिता मूल रूप से संबंधित थे – KUSHINAGAR (UP)
9.	(क)	आपका धर्म – HINDU
	(ख)	क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं : (हां या नहीं में उत्तर दीजिए।) – YES ✓
10.		शैक्षिक योग्यता, 15 वर्ष की आयु से जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययन किया को वर्षवार एवं स्थानवार दर्शाते हुए :

विद्यालयों/ महाविद्यालय का नाम (पूर्ण पते सहित)	प्रवेश की तिथि	छोड़ने की तिथि	उत्तीर्ण की गयी परीक्षा
GOVT POLYTECHNIC AMBALA CITY HARYANA	01/08/2003	30/06/2006	DIPLOMA IN MECHANICAL ENGG.

[illegible] केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अर्द्ध सरकार या मानद सरकारी [illegible] या किसी स्वायत्त निकाय या किसी सार्वजनिक उपक्रम या किसी निजी फर्म या संस्थान में किसी समय कोई पदधारित किया है या करते हैं? यदि हां तो नियुक्ति की तिथि का पूर्ण विवरण दें:

अवधि	पदनाम, परिलब्धियां एवं नियोजन की प्रकृति	नियोक्ता का पूर्ण नाम एवं पता	पूर्व सेवा छोड़ने कारण
	N/A	N/A	N/A

तिथि से	N/A	तिथि से	N/A

(ख)	यदि पूर्व का नियोजन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का उपक्रम/ स्वायत्तशासी निकाय/ विश्वविद्यालय/ स्थानीय निकाय के अधीन था। क्या आपने केन्द्रीय नागरिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम-5 या तत्समान समान नियमावली के अधीन एक मास की सूचना देकर सेवा छोड़ी थी, क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी, या क्या आपको सेवा समाप्ति की सूचना दिये जाने या आपकी सेवा वास्तविक रूप से समाप्त हो जाने के समय पर या बाद की तिथियों में किसी प्रकरण में आपको अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था ?

12 (एक)	(क)	क्या आप कभी गिरफ्तार हुये हैं	हाँ/नहीं
	(ख)	क्या आप कभी अभियोजित हुये हैं	हाँ/नहीं
	(ग)	क्या आप कभी नजरबंद हुये हैं	हाँ/नहीं
	(घ)	क्या आप कभी तड़ीपार हुये हैं	हाँ/नहीं
	(ङ)	क्या आपको कभी न्यायालय ने अर्थदण्ड दिया है	हाँ/नहीं
	(च)	क्या आपको किसी कार्य के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं	हाँ/नहीं
	(छ)	क्या आपको कभी किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपनी किसी परीक्षा/चयन के लिए विवर्जित / अयोग्य घोषित किया गया है	हाँ/नहीं
	(ज)	सत्यापन प्रपत्र भरने के समय आपके विरुद्ध कोई वाद किसी न्यायालय में लंबित तो नहीं है	हाँ/नहीं
	(झ)	इस सत्यापन प्रपत्र को भरने के समय आपके विरुद्ध किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक प्राधिकरण/ संस्था में कोई वाद लंबित तो नहीं है	हाँ/नहीं
	(ञ)	क्या सरकार या अन्यथा के अधीन किसी प्रशिक्षण/ संस्थान से आपकी कार्यमुक्ति/निष्कासन वापसी तो नहीं हुयी है	हाँ/नहीं

(दो)		इस सत्यापन प्रपत्र को भरते समय यदि उपरोक्त वर्णित प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर "हां" है तो वाद/ गिरफ्तारी/ नजरबंदी/ अर्थदण्ड/ दोषसिद्ध/ दण्डादेश/ दण्ड आदि और/ या न्यायालय/ विश्वविद्यालय/ शैक्षिक प्राधिकरण आदि में लंबित वाद की प्रकृति का पूर्ण विवरण दें;
टिप्पणी	(एक)	कृपया इस सत्यापन प्रपत्र के शीर्ष पर अंकित "चेतावनी" भी देखें ।
	(दो)	यथा प्रकरणानुसार प्रत्येक प्रश्न के विशिष्ट उत्तर "हां" या "नहीं" के रूप दिये जाने सकते हैं ।
13.	आपके क्षेत्र में दो उत्तरदायी व्यक्तियों या	1) MOTI PRASAD

	अनुमोदकों के नाम जिनसे आप परिचित हों।	2) CHARANJEET (EX. M.C)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्वोलिखित सूचना सत्य एवं पूर्ण है। सरकार के अधीन नियोजन के लिये मुझे अनर्ह करने वाली किन्हीं परिस्थितियों की मुझे जानकारी नही है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर:
दिनांक: – 28/04/2023
स्थान: – Tadipatri (A.P)

अभिज्ञान प्रमाण पत्र

(प्रमाणपत्र निम्नांकित मैं से किन्हीं एक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)

(एक)	केन्द्र या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी
(दो)	निर्वाचन क्षेत्र, जहां अभ्यर्थी या उसके परिजन/ अभिभावक सामान्य रूप से निवास करते हो के सांसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य
(तीन)	उप जिला मजिस्ट्रेट/ अधिकारी
(चार)	मजिस्ट्रेरियल शक्तियों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत तहसीलदार या नायब/ उप तहसीलदार
(पांच)	अभ्यर्थी ने जिस मान्यता प्राप्त विद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्था से अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्राचार्य/ प्रधानाचार्य
(छह)	खण्ड विकास अधिकारी
(सात)	डाकपाल
(आठ)	पंचायत निरीक्षक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी SONU KUMAR पुत्र/ पुत्री श्री FENKU LAL को मैं विगत 10 मास से जानता हूँ एवं मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है।

दिनांक :- 03/05/2023
स्थान :- Tadipatri (A.P)

हस्ताक्षर : 03/05/2023
पदनाम या प्रास्थिति एवं पता
MEDICAL OFFICER
Govt. Urban Health Centre,
Sreenivasapuram, Tadipatri
Anantapuramu Dist

कार्यालय द्वारा भरा जायेगा ।

एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता: